अनुक्रमांक/Roll No. | | | |

M.P. H.J.S. (L.C.E.) – 2020

2nd QUESTION PAPER
द्वितीय प्रश्न–पत्र

समय – 3:00 घण्टे
Time – 3:00 Hours

पूर्णांक – 100
Maximum Marks – 100

मुद्रित पृष्ठों की संख्या : 22
No. of Printed Pages : 22

निर्देश :–
Instructions :-

1. All questions are compulsory. Answers to all the Questions must be given in one language either in Hindi or in English. In case of any ambiguity between English and Hindi version of the question, the English version shall prevail.
   सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर हिन्दी अथवा अंग्रेजी एक भाषा में ही देने हैं। यदि किसी प्रश्न के अंग्रेजी और हिन्दी पाठ के बीच कोई संदिग्धता है तो अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

2. This Question Paper consists of two parts, Part-A (Question No. 1 to 3) & Part-B (Question No. 4 to 6) & the candidates are required to write answer of questions of Part-A in Answer Book provided for Part-A only & Answers of Questions of Part-B in Answer Book provided for Part-B only. Both Answer Books are being provided simultaneously. Answer one-one option from the options given in Q.No.4, 5 & 6.
   इस प्रश्न पत्र में दो भाग हैं, भाग–ए (प्रश्न क्र. 1 से 3) और भाग–बी (प्रश्न क्र. 4 से 6) तथा अभ्यर्थियों को भाग–ए के प्रश्नों के उत्तर इस हेतु दी गयी उत्तर पुस्तिका में ही केवल लिखें तथा भाग–बी के प्रश्नों के उत्तर इस हेतु दी गयी उत्तर पुस्तिका में ही केवल लिखें। दोनों उत्तर पुस्तिकाएं एक साथ प्रदान की जा रहीं हैं । प्रश्न क्र. 4, 5 और 6 में दिये गये विकल्पों में से एक–एक विकल्प का उत्तर लिखे।

3. Write your Roll No. in the space provided on the first page of Answer-Book or Supplementary Sheet. Any attempt to disclose identity, in any other part thereof, shall disqualify the candidature.
   उत्तर पुस्तिका अथवा अनुपूरक शीट के प्रथम पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर ही अनुक्रमांक अंकित करें। किसी प्रकार से किसी अन्य भाग पर कोई भी पहचान चिन्ह या नाम दर्ज करने पर उम्मीदवारी निरर्हित हो जावेगी।

4. Writing of all answers must be clear & legible. If the writing of Answer Book written by any candidate is not clear or is illegible in view of Valuer/Valuers then the valuation of such Answer Book may not be done.
   सभी उत्तरों की लिखावट स्पष्ट और पठनीय होना आवश्यक है। किसी परीक्षार्थी के द्वारा लिखी गई उत्तर–पुस्तिका की लिखावट यदि मूल्यांकनकर्त्ता/मूल्यांकनकर्त्तागण के मत में अस्पष्ट या अपठनीय है तो उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा।

RULES AND ORDERS (CIVIL & CRIMINAL)
नियम एवं आदेश (व्यवहार एवं आपराधिक)

Q.No. / प्र.क्र.	Question / प्रश्न	Marks /अंक
1(a)	What cautions should be taken while granting permission to compound an offence in the light of the M.P. Rules & Orders (Criminal) Rule-135? म.प्र. नियम एवं आदेश (आपराधिक) नियम–135 के आलोक में न्यायालय को अपराध में राजीनामा करने की अनुमति देते समय क्या सावधानी रखनी चाहिये?	4
1(b)	Under Rule 125 & 466 M.P. Rules & Orders (Criminal), what precautions should be taken for safe custody of forged or suspected to be forged document? म.प्र. नियम और आदेश (आपराधिक) के नियम 125 और 466 के तहत, ऐसे दस्तावेज़ जो कूटरचित है या जिनका कूटरचित होने का संदेह है के सुरक्षित अभिरक्षा के लिये क्या सावधानी बरती जानी चाहिये?	4
1(c)	As per Rule 197 of the M.P. Civil Court Acts & Rules, in the application for attachment of immovable property, what details are necessarily required? म.प्र. सिविल न्यायालय अधिनियम एवं नियम 197 के अनुसार अचल संपत्ति की कुर्की के आवेदन पत्र में संपत्ति की पहचान के लिए क्या–क्या विवरण होना चाहिये?	4
1(d)	On filing of the complaint under Section 200 Cr.P.C., and at the time of examination of complainant what are the points which should be taken care off, in the light of the Rules 110, 111 of M.P. Rules & Orders (Criminal). परिवाद प्रस्तुत होने पर दं.प्र.सं. की धारा 200 के अंतर्गत परिवादी का परीक्षण करते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, म.प्र. नियम तथा आदेश (आपराधिक) के नियम 110 और 111 के आलोक में इसका वर्णन करें?	4
1(e)	What proceedings would be drawn, if a party to the suit, after the conclusion of hearing and before pronouncement of the judgment die, as per Rule 164 of the M.P. Civil Court Acts & Rules? यदि किसी वाद का पक्षकार सुनवाई समाप्त होने के पश्चात और निर्णय घोषित होने के पूर्व मृत हो जाता है तो क्या कार्यवाही होगी म.प्र., सिविल न्यायालय अधिनियम एवं नियम के नियम 164 के अनुसार ?	4

KNOWLEDGE OF CURRENT LEADING CASES
प्रचलित अग्रनिर्णयों का ज्ञान

Q.No. / प्र.क्र.	Question / प्रश्न	Marks /अंक
2.	Briefly state the principles of law laid down in the following cases and also point out divergence, if any, from the view as taken in the earlier decisions on the subject. निम्नलिखित प्रकरणों में प्रतिपादित विधि के सिद्धान्तों का संक्षेप में वर्णन कीजिये और संबंधित विषय पर पूर्ववर्ती निर्णयों में लिये गये विचार से विचलन, यदि कोई हो, तो इंगित कीजिये।	20
(i)	"*Ravinder Kaur Grewal & Others vs. Manjit Kaur & Others – AIR 2019 SC 3827*" "*रविन्दर कौर ग्रेवाल एवं अन्य विरूध्द मंजीत कौर एवं अन्य – ए.आई.आर. 2019 एस.सी. 3827*"	
(ii)	"*Amar Singh vs. Smt. Kamla @ Sapna Panthi & Others – 2019 (3) MPLJ 200 (DB)*" "*अमर सिंह विरूध्द श्रीमती कमला उर्फ सपना पंथी एवं अन्य – 2019 (3) एम.पी.एल.जे. 200 (डी.बी.)*"	
(iii)	"*Shiv Singh vs. Smt. Vandana – 2019 (3) MPLJ 638*" "*शिव सिंह विरूध्द श्रीमती वंदना – 2019 (3) एम.पी.एल.जे. 638*"	
(iv)	*Lakhan Lal @. Lakhan Singh vs. State of M.P. – 2019 (3) Crimes 95 (SC)*" "*लखन लाल उर्फ लखन सिंह विरूध्द म.प्र. राज्य – 2019 (3) काईमस् 95 (एस.सी.)*"	

Q.No. / प्र.क्र.	Question / प्रश्न	Marks /अंक
3.	**Summaries (in 150 to 200 words) the facts contained in the following passage –**	10

The case of the appellant was that on 05.01.2018, he was going to discharge his duty as coolie at the Railway Station of Indore. On the way, when he was crossing the road, a bus no. MP-09 B-1564 came from District Dewas side. The Driver was driving the bus very rashly and negligently. He tried to save himself but the bus dashed him from the back side of him. He fell down and got injury in his whole body. The bus stopped for a moment. He saw the number of the bus and noted it but the bus driver has not taken any step to provide medical help and ran away from the place of incident.

A person Ramesh was passing on the road, lifted him and carried to the M.Y. Hospital for treatment. There, he got treatment

and he was hospitalized for a long period of 55 days. He was having fracture in left hand and injury in the left wrist. Ramesh informed the Police and Police came to the Hospital and enquired about the incident. He narrated the whole story to the Police. He was the only earning member of the family. He was earning Rs. 150/- per day. Due to injury, he has become incapable to discharge his duty for not only during the period of hospitalization rather even after discharge from the Hospital.

He could not earn anything from last one year. He has no strength in his left hand, therefore, unable to perform the work of Coolie which requires physical fitness and strength of both the hands.

In support of his case, Appellant examined himself and the witness Ramesh and also produced the medical documents. He also examined the treating Doctor who issued the disability certificate.

The Respondent has controverted the case of the Appellant and took the defence that the Appellant got injury due to fall from any place. No injury caused due to accident. The bus no. MP-09 B-1564 has been falsely implicated.

The Tribunal concluded that the accident occurred due to rash and negligent driving of the bus driver as a result of which the appellant has sustained injuries in the accident. On perusal of evidence it was found that the appellant had sustained injuries of compound fracture styloid process of left hand and subluxation of the left wrist. The doctor assessed disability at 23% of the whole body therefore it awarded Rs. 20,000/- for loss of amenities, Rs. 30,000/- for pain and suffering, Rs. 30,000/- for medical expenses and conveyance and Rs. 2,000/- for future medical treatment and awarded Rs. 9,000/- for loss of income during the period of treatment. The Tribunal found that due to the nature of the disability appellant was unable to work as a coolie or do other manual work. It also added that only the left hand was injured, so the right hand was free to work. The appellant was an indoor patient for 55 days. Thus the Tribunal presumed that the appellant was unable to work for 3 months.

Further though the appellant claimed to be earning Rs. 4,500/- p.m., but it was not supported by any documentary evidence. Hence the Tribunal presumed his income to be Rs. 3,000/- p.m. and awarded Rs. 9,000/- for loss of income during the period for treatment. For computational loss of future income due to disability the Tribunal took into consideration that

disability of the whole body of the appellant had been assessed at 23% however his right hand was still free to work. Thus the tribunal assessed disability of 20% on the basis of medical evidence. The appellant was around 55 years at the time of accident, for which multiplier of 11 was adopted. Accordingly loss of future income was calculated to be Rs. 79,200/- (Rs. 3,000 x 12 x 11 x 20/100).

निम्नलिखित गद्यांश में वर्णित तथ्यों को संक्षेप में (150 से 200 शब्दों में) लिखिये –

अपीलार्थी का प्रकरण इस प्रकार था कि दिनांक 05.01.2018 को वह अपने कुली के कार्य के कर्त्तव्य पर रेल्वे स्टेशन इन्दौर जा रहा था। जब वह रास्ता पार कर रहा था, तब एक बस क्रमांक एम.पी.–09 बी.–1564, जिला देवास की तरफ से डाइवर द्वारा उतावलेपन एवं लापरवाही से चलाते हुई लाई गई। उसने अपने आप को बचाने का प्रयास किया लेकिन बस द्वारा पीछे से उसे टक्कर मारी गई। वह गिर गया एवं उसके पूरे शरीर में चोटें आई। बस कुछ क्षणों के लिए रूकी। उसने बस का नम्बर देखकर नोट किया लेकिन बस डाईवर ने उसे इलाज हेतु कोई मदद नहीं की एवं मौका–ए–वारदात से फरार हो गया।

एक व्यक्ति रमेश रास्ते से निकल रहा था। उसने उसे उठाया एवं एम.वाई. अस्पताल इलाज हेतु ले गया। वहॉ पर उसका इलाज हुआ एवं वह अस्पताल में 55 दिन भर्ती रहा। उसके बॉये हाथ में फैक्चर था एवं बाई कलाई में भी चोटें थी। रमेश ने पुलिस को सूचना दी एवं पुलिस अस्पताल आई एवं घटना की जानकारी ली। उसने पुलिस को पूरी घटना बताई। वह अपने परिवार का अकेला कमाने वाला व्यक्ति था। उसे प्रतिदिन 150/– रूपये मिलते थे लेकिन चोटों के कारण, अब वह अपने कर्त्तव्य का निर्वाहन, न केवल अस्पताल में भर्ती के दौरान, अपितु अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद भी नहीं कर सकता ।

वह पिछले एक साल तक कुछ भी अर्जित नहीं कर सका। उसके बायें हाथ में कोई शक्ति नहीं है जिससे वह कुली का कार्य करने में असमर्थ है क्योंकि उसके लिए शारीरिक रूप से स्वस्थ होना एवं दोनों हाथों में शक्ति होने की आवश्यकता हैं।

अपने मामलें के समर्थन में अपीलार्थी ने स्वयं का परीक्षण एवं साथ ही रमेश का परीक्षण कराया तथा मेडिकल के दस्तावेज़ पेश किए एवं साथ ही उस डॉक्टर का भी परीक्षण कराया जिसने विकलांगता प्रमाण पत्र जारी किया था।

प्रत्यार्थी ने अपीलार्थी के मामले का खंडन किया एवं उसका बचाव है कि अपीलार्थी को किसी स्थान से गिरने से चोटें आई है। उसको दुर्घटना में कोई भी चोट नहीं आई है। बस कमांक एम.पी.–09 बी.–1564 को झूठा फसाया गया है।

अधिकरण ने निष्कर्षित किया कि दुर्घटना बस चालक के तेज एवं उपेक्षित चालन से घटित हुई, जिसके परिणामस्वरूप अपीलार्थी ने दुर्घटना में क्षतियां वहन की। साक्ष्य के परिशीलन पर यह पाया गया था कि अपीलार्थी ने बायें हाथ के कटि मेरूदण्ड प्रक्रिया का मिश्रित अस्थिभंग और बायी कलाई का अनुसन्धिच्युति की क्षतियां वहन की थी। चिकित्सक ने सम्पूर्ण शरीर की 23% निःशक्तता निर्धारित की। इसलिए इसने सुविधाओं की हानि हेतु रू. 20,000/– दर्द एवं वेदना हेतु रू. 30,000/– चिकित्सीय व्ययों और परिवहन हेतु रू. 30,000/– एक भावी इलाज हेतु रू. 2,000/– तथा रू. 9,000/– इलाज की अवधि के दौरान आय की हानि हेतु अधिनिर्णीत किए। अधिकरण ने पाया कि निःशक्तता की प्रकृति के कारण अपीलार्थी

कुली या अन्य मानवीय कार्य करने में असमर्थ था। इसमें यह भी जोड़ा कि केवल बायां हाथ क्षतिग्रस्त हुआ था, इसलिए दाहिना हाथ कार्य करने हेतु स्वतंत्र था। अपीलार्थी 55 दिनों तक आन्तरिक रोगी रहा था। इस प्रकार अधिकरण ने उपधारित किया कि अपीलार्थी 3 माह तक कार्य करने में असमर्थ था। आगे अधिकरण ने यह निष्कर्ष दिया कि यद्यपि अपीलार्थी ने रू. 4,500/– प्रतिमाह अर्जित करने का दावा किया है, किंतु यह किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं था। अतः अधिकरण ने उसकी आय रू. 3,000/– प्रतिमाह होना उपधारित की एवं रू. 9,000/– इलाज की अवधि के दौरान आय की हानि हेतु अधिनिर्णीत किये। निःशक्तता के कारण भावी आय की हानि की संगणना हेतु अधिकरण ने विचारण किया कि अपीलार्थी के सम्पूर्ण शरीर की निःशक्तता 23% निर्धारित की गई थी, परन्तु उसका दाहिना हाथ अभी तक कार्य करने हेतु स्वतंत्र थ। इस प्रकार इसने 20% पर निःशक्तता निर्धारित की। चिकित्सीय साक्ष्य दर्शाता था कि अपीलार्थी दुर्घटना के समय 55 वर्ष के आसपास था, जिसके लिए 11 का गुणांक अपनाया गया था। तद्नुसार भावी आय की हानि रू. 79,200 (रू. 3,000 x 12 x 11 x 20/100) होना संगणित किया गया था।

4. SETTLEMENT OF ISSUES 10

Settle the issues on the basis of the pleadings given hereunder

Pleadings of the plaintiff :-

'A' filed a suit against 'B' for recovery of arrears of rent and eviction from his shop. Situated in Jabalpur city, before Civil Judge Class-II, on the following grounds:

1. That 'B' is tenant in the suit shop at the rate of Rs. 250/- (Two hundred and fifty rupees) per month since January, 1996. The rent note was executed on the same day.
2. That 'B' had taken the shop for business of Electronic items, but from 01.01.2007 'B' has formed a registered partnership firm with his son 'X', and has started business of Electronics in the name of 'B' & son. Actually 'B' has transferred the possession of the shop to the registered partnership firm.
3. That on 01.01.2007, 'B' illegally without the permission of 'A' has taken the possession of A's another identical shop adjoining to the suit shop after broking the partition wall between the shop and converted it in a single large shop.
4. When 'A' protested 'B' offered to increase the rent to Rs. 400/- (Four hundred rupees) per month. 'A' immediately refused and asked 'B' to vacate both the shops.
5. That 'A' vide notice dated 01.03.2007 terminated the

tenancy and demanded vacant possession of shops, two months arrears of rent at the rate of Rs. 500/- (Five hundred rupees) per month from 'B'. But 'B' in its reply refused to vacate the shops.

6. That 'A' valued the suit for Rs. 7000/- (Seven thousand rupees), and after paying the requisite Court fees, filed the suit, before the Civil Judge Class-II on 25.03.2007.

Pleadings of the defendants :-

1. In his written statement 'B' denied the plaint allegation and submitted that from the beginning of the tenancy there was no other shop. He never took the possession of so-called another adjoining shop. For the betterment of business 'B' has formed a registered partnership firm with his son 'X', who is doing the business with 'B', since the beginning of the tenancy possession of the shop is with 'B' and his son 'X'.

2. Defendant 'B' has specifically pleaded that 'A' has asked to enhance the rent of the disputed shop from Rs. 250/- per month to 500/- per month from 01.01.2007, but on refusal by 'B', 'A' has instituted this false suit. It is further pleaded that 'A' has not valued the suit for possession of so called another shop at the market value which is Rs. 20,00,000/- (Twenty lac), for which Civil Judge Class-II, has no pecuniary jurisdiction to entertain the suit. Accordingly the plaintiff has to pay the court fees on market value of so called another shop.

निम्नांकित तथ्यों के आधार पर वादप्रश्नों की रचना कीजिये –

वादी के अभिवचन :–

निम्न आधारों पर 'क' ने 'ख' के विरूद्ध जबलपुर शहर में स्थित अपने भवन की एक दुकान का रिक्त आधिपत्य प्राप्त करने हेतु एवं बकाया किराया की मांग हेतु व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 के समक्ष वाद प्रस्तुत किया :–

1. यह कि 'ख' ने दुकान, जनवरी सन् 1996 में रू. 250/– (दो सौ पचास रूपये) प्रतिमाह की दर से भाड़े पर 'क' से प्राप्त की थी। उसी दिन किरायेनामा भी सम्पादित किया गया।
2. यह कि 'ख' ने उक्त दुकान इलेक्ट्रानिक सामग्री के व्यापार हेतु किराए पर ली थी परंतु दिनांक 01.01.2007 से 'ख' ने अपने पुत्र 'ग' के साथ पार्टनरशिप फर्म बनाकर, दुकान का नाम 'ख एंड संस' रखकर रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म के नाम से रेडीमेड वस्त्रों का व्यवसाय प्रारंभ कर दिया है। यथार्थ में 'ख' ने दुकान का आधिपत्य पंजीकृत भागीदार फर्म को हस्तांतर कर दिया।
3. यह कि 'ख' ने दिनांक 01.01.2007 को ही वादी 'क' की बिना अनुमति के, वादग्रस्त दुकान के बगल में स्थित, वादग्रस्त दुकान के समान आकार–प्रकार की, वादी की अन्य दुकान का आधिपत्य अवैध रूप से प्राप्त कर लिया तथा दोनों दुकानों के बीच की पार्टिशन दीवार तोड़कर, दोनों दुकानों को एक बड़ी दुकान में

परिवर्तित कर दिया।

4. यह कि 'क' द्वारा इसका विरोध करने पर 'ख' ने 'क' से 400/- (चार सौ रूपये) प्रतिमाह किराया देने का प्रस्ताव किया, जिसे 'क' ने तत्काल अस्वीकार किया व 'ख' को दोनों दुकानें खाली करने को कहा।
5. यह कि सूचना पत्र दिनांक 01.03.2007 के द्वारा 'क' ने 'ख' की किरायेदारी समाप्त की, तथा 500/- (पॉच सौ रूपये) प्रतिमाह की दर से दो माह के बकाया किराया एवं दुकानों के रिक्त आधिपत्य की मांग की किंतु 'ख' ने सूचना पत्र के जवाब में दुकान रिक्त करने से इंकार किया।
6. 'क' द्वारा 7000/- (सात हजार रू.) वाद का मूल्यांकन करते हुये, इस पर न्याय शुल्क अदा कर, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 के न्यायालय में दिनांक 25.03.2007 को वाद प्रस्तुत किया।

प्रतिवादी के अभिवचन :-

1. 'ख' ने जवाबदावे में दर्शाया कि वादग्रस्त दुकान प्रारंभ से एक ही दुकान है, वहां दूसरी दुकान कभी नहीं थी, प्रतिवादी 'ख' ने दूसरी दुकान पर कभी आधिपत्य नहीं किया। 'ख' ने व्यापार की सुविधा हेतु अपने पुत्र के साथ पंजीकृत पार्टनरशिप फर्म का निर्माण किया है। प्रतिवादी का पुत्र 'ग' किरायेदारी के प्रारंभ से ही 'ख' के साथ वादग्रस्त दुकान में व्यापार कर रहा है। दुकान का आधिपत्य 'ख' व उसके पुत्र 'ग' के पास है।
2. 'ख' ने 'क' के अभिवचनों को अमान्य करते हुये विशेष तौर पर यह अभिवचन किया कि 'क' ने 'ख' से वादग्रस्त दुकान का किराया दिनांक 01.01.2007 से 250/- (दो सौ पचास रू.) से 500/- (पॉच सौ रू.) प्रतिमाह बढ़ाने हेतु कहा, 'ख' के इंकार करने पर यह झूठा दावा प्रस्तुत किया। यह भी अभिवचनित किया कि 'क' ने कथित दूसरी दुकान के आधिपत्य हेतु बाजार मूल्य पर वाद का मूल्यांकन नहीं किया है जिसका बाजार मूल्य 20,00,000/- (बीस लाख रू.) है। इस मूल्यांकन के आधार पर व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 को वाद श्रवण करने का आर्थिक क्षेत्राधिकार नहीं है। इसी अनुरूप 'क' को कथित दूसरी दुकान के बाजार मूल्य पर न्याय शुल्क अदा करनी चाहिए।

या / OR

FRAMING OF CHARGES

Frame a charge/charges on the basis of allegations given here under -

PROSECUTION CASE / ALLEGATIONS

In the night of 15.07.2015, between 8:00 P.M. to 9.00 P.M., the complainant 'X' was returning to his home after dropping his brother at Jabalpur Airport. The accused 'Y' and an unknown person armed with pistol, stopped him and asked to hand over his Mobile valued at Rs. 10,000/-, one gold ring valued at Rs. 20,000/- and his purse containing Rs. 5000/- by putting him in fear of instant death at gun point, they took his Mobile, gold ring and purse. 'X' reported the incident to the 'A' Station House Officer, Civil Lines Police Station, Jabalpur. Around 10 p.m. / An F.I.R. was lodged accordingly. 'A' interrogated 'Y' on 17th July, 2015 after taking him in his custody as a suspect. A Mobile was

recovered from a box lying in the house of 'Y' situated at Civil Lines Jabalpur and a golden ring was recovered from goldsmith 'Z', on the basis of the information given by 'Y' to 'A' during interrogation. 'X' identified the Mobile (Article-Q1) and the gold ring (Article-Q2) as his property in the identification proceedings before the Deputy Collector. 'Y' was prosecuted for the offence under section 392 of the Indian Penal Code.

निम्नलिखित अभिकथनों के आधार पर आरोप विरचित कीजिये –

अभियोजन का प्रकरण / अभिकथन –

दिनांक 15.07.2015, को रात लगभग 8:00 से 9:00 बजे के बीच, परिवादी 'एक्स' जबलपुर एयरपोर्ट से भाई को छोड़कर घर आ रहा था। रास्ते में अभियुक्त 'वाय' तथा उसके एक अज्ञात साथी ने, जो पिस्तौल से लैस थे, "एक्स" को रोककर उसे पिस्तौल की नोक पर जान से मारने का भय दिखाकर उससे उसका मोबाईल मूल्य 10,000/– रू., सोने की अंगूठी मूल्य 20,000/– रू. एवं पर्स जिसमें 5,000/– रू. थे मांगे। डर के कारण "एक्स" ने तीनों चीजें "वाय" और उसके साथी को सौंप दी। "एक्स" ने रात लगभग 10 बजे इस घटना की जानकारी आरक्षी केन्द्र सिविल लाईन, जबलपुर के थाना प्रभारी को दी, जिसके आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी 1) लिखी गई। दिनांक 17 जुलाई, 2015 को "अ" ने संदेह के आधार पर "वाय" को अभिरक्षा में लेकर घटना के बारे में पूछताछ की। "वाय" द्वारा "अ" को दी गई जानकारी के आधार पर "वाय" के सिविल लाईन स्थित घर में रखे बक्से में "अ" द्वारा मोबाईल (आर्टिकल क्यू 1) तथा सुनार "जेड" से सोने की अंगूठी (आर्टिकल क्यू 2) बरामद की गई। डिप्टी कलेक्टर के समक्ष पहचान कार्यवाही में "एक्स" ने मोबाईल एवं सोने की अंगूठी को अपना होना बताया। "वाय" को धारा 392 भा.दं.सं. के अपराध के लिए अभियोजित किया गया।

Q.No. / प्र.क्र.	Question / प्रश्न	Marks / अंक
5.	**JUDGMENT WRITING**	30

Write a judgment on the basis of pleadings and evidence given hereunder after framing necessary issues and analyzing the evidence, keeping in mind the provisions of relevant Law/Acts :-

Plaintiff's Pleadings:-

Plaintiff filed a suit seeking relief of specific performance of contract as well as permanent injunction on the ground that on 06.01.2015 the defendant no.1 entered into an agreement to sell the suit plot admeasuring 4271 sq.ft. for a consideration of Rs. 15,00,000/- At the time of execution of the agreement a sum of Rs. 13,00,000/- was paid. It was agreed between the plaintiff and defendant no.1 that on receipt of balance amount, for which no

time limit was prescribed, the defendant no.1 would execute the sale seed in favour of the plaintiff. It is the case of the plaintiff that under the agreement, the possession of the plot in question was handed over to the plaintiff. However, on 15.01.2018 the defendant no.2 informed the plaintiff that the construction which has been raised by him on the plot in question is unauthorized. Thereupon the plaintiff informed him about the agreement dated 06.01.2015. The plaintiff got a notice published on 21.01.2018 in news paper "Dainik Bhaskar" and sent a telegraphic notice to defendant no.1 on 21.01.2018 to execute sale deed in his favour after receiving remaining amount of Rs. 2,00,000/- in his favour. Plaintiff until now and always was ready and willing for execution of sale deed in his favour by paying the balance amount to the defendant. Thereafter, the plaintiff filed this suit seeking relief of specific performance of contract and permanent injunction restraining the defendant no.1 from alienating the suit plot. As alternative relief plaintiff pleaded that if decree of specific performance in his favour is not possible then defendant to be ordered to return his advance of Rs. 13,00,000/- with 15 percent per annum interest. And he also claimed compensation of Rs. 5,00,000/- from defendant for losses beared by him.

<u>Defendant's Pleadings</u> :-

The defendant no.1 filed written statement in which, inter alia, it was pleaded that agreement was executed by way of security for loan. It was further pleaded that plaintiff was never placed in possession of the suit plot and the possession of the suit plot is continued with the defendant no.1. The defendant no.1 executed the sale deeds on 16.01.2018 and 17.01.2018 in favour of defendant no.2 to 4 and handed-over possession to them. It was further pleaded that market value of the suit plot was Rs. 600/- per sq. ft. and, therefore the question of selling the same for Rs. 15,00,000/- does not arise. It was further held that defendant no.1 sold the plot for a consideration of Rs. 55 lacs. It was further pleaded that the suit is barred by limitation.

The defendants no.2 to 4 filed their written statement in which, inter alia, it was pleaded that defendants no.2 to 4 had made an enquiry and found that defendant no.1 is the owner.

They got the plot in question demarcated on 13.01.2018. The defendant no.2 to 4 are bonafide purchasers for valuable consideration without any notice of previous agreement.

Plaintiff's Evidence **:-**

Plaintiff examined himself and proved agreement Exhibit-P-1 and also examined P.W.2 Ramesh attesting witness of Exhibit P-1 in his support. Plaintiff further relied on admission of defendant no.1 regarding execution of agreement and stated that he is in possession.

Defendant's Evidence **:-**

Defendant no.1 Jagdish examined himself and stated that the agreement was executed by way of security for loan. Plaintiff neither approached him to pay remaining amount nor for execution of sale deed. Plantiff demanded his money which was later paid to him and plaintiff orally assured him that the agreement will be cancelled at later stage. He by registered sale deed sold his plot for amount of Rs. 55, 00,000/- to defendant no.2 to 4. He also stated that plaintiff's suit is time barred and filed after three year from the date of agreement.

Defendant no.4 Smt. Lalita proved sale deed Exhibit D-1 and D-2 executed by defendant no.1 in her favour and stated that she is in possession, but in cross examination she admitted that instead of herself, her son made enquiry from Patwari and it was found that defendant no.1 is the owner and in possession of the suit plot.

Arguments of Plaintiff **:-**

Learned counsel for plaintiff submitted that since the defendant no.1 has taken a stand that agreement is executed by way of security for the loan, therefore, he is not entitled to take advantage of provisions of Specific Relief Act, 1963. It was further submitted that under the agreement the plaintiff had paid the substantial amount i.e. a sum of Rs. 13,00,000/- out of total sale consideration of Rs. 15,00,000/-. Therefore, defendant's plea that plaintiff is not ready and willing to perform his part of contract is not tenable. It was further submitted that recital contained in the agreement does not prescribe time for making

payment of sale consideration and, therefore, time was not the essence of the contract. It was further submitted that subsequent purchaser cannot raise a plea that plaintiff has failed to prove his readiness and willingness. It is also submitted that defendant no.2 to 4 did not make any enquiry prior to execution of sale deed with regard to previous agreement with the plaintiff.

Arguments of Defendant **:-**

On the other hand learned counsel for the defendant no.1 while inviting attention of this court to the agreement (Exhibit-P-1) submitted that for execution of the sale deed it was necessary to obtain permission from the Gram Panchayat. However, the plaintiff failed to even obtain permission from the Gram Panchayat and did not take steps nearly for a period of three years. The notice in the newspaper as well as telegraphic notice was sent to defendant no.1 after execution of the sale deed. As the plaintiff has failed to prove his readiness and willingness to perform his part of contract, he is not entitle to decree for specific performance of contract.

Learned counsel for defendant no.2 to 4 submitted that defendant no.2 to 4 are bonafide purchaser for valuable consideration without knowledge of previous transaction.

निम्नलिखित अभिवचनों एवं साक्ष्य के आधार पर विवाद्यक विरचित कीजिये एवं साक्ष्य का विवेचन करते हुए संबंधित विधि/अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिखिये –

वादी के अभिवचन :–

वादी द्वारा एक वाद संविदा के विनिर्दिष्ट पालन एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु इस आधार पर पेश किया गया है कि प्रतिवादी संख्या–1 ने दिनांक 06.01.2015 को उसके पक्ष में एक इकरारनामा विवादित प्लाट क्षेत्रफल 4271 वर्गफुट विक्रय राशि रू. 15,00,000/– विक्रय करने के इकरार के साथ निष्पादित किया। इकरारनामे के समय रू. 13,00,000/– की राशि का भुगतान किया गया। वादी एवं प्रतिवादी कमांक–1 के बीच यह निश्चित हुआ कि प्रतिवादी संख्या–1 बकाया राशि लेकर वादी के पक्ष मे विक्रय पत्र का निष्पादन करेगा, परन्तु इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई थी। वादी का यह भी कहना है कि विवादित प्लाट का कब्जा वादी को दिया गया परन्तु दिनांक 15.01.2018 को प्रतिवादी कमांक–2 ने उसे सूचित किया कि उसके द्वारा विवादित प्लाट पर निर्माण किया गया है वह अनाधिकृत है। तत्पश्चात् वादी ने उसे इकरारनामा दिनांक 06.01.2015 के संबंध में सूचना दी। वादी ने दिनांक 21.01.2018 को दैनिक भास्कर समाचार पत्र में एक सूचना पत्र प्रकाशित

कराया और प्रतिवादी संख्या–1 को टेलीग्राफ द्वारा नोटिस भेजा कि वह बकाया रू. 2,00,000/– की राशि प्राप्त कर उसके पक्ष में विकय पत्र का निष्पादन करे। बकाया राशि अदा कर उसके पक्ष में विकय पत्र के निष्पादन हेतु वादी हमेशा तत्पर व उत्सुक रहा है तथा आज भी है। इसके पश्चात् वादी की ओर से यह वाद संविदा के विनिर्दिष्ट पालन एवं स्थाई निषेधाज्ञा, कि प्रतिवादी संख्या–1 को विवादित प्लाट विकय करने से निषेधित किया जाये, की सहायता हेतु पेश किया गया है। वैकल्पिक सहायता के संबंध में वादी ने यह अभिवचन किया है कि यदि उसके पक्ष में विनिर्दिष्ट पालन की डिकी संभव न हो तो प्रतिवादी को आदेशित किया जाये कि वह वादी को अग्रिम रू. 13,00,000/– की राशि 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ वापस अदा करे और उसके द्वारा रू. 5,00,000/– की क्षतिपूर्ति की मॉग भी उसको हुए नुकसान के संबंध में की गई है।

<u>प्रतिवादी के अभिवचन</u> :–

प्रतिवादी संख्या –1 ने जवाबदावा प्रस्तुत कर यह अभिवचन किया है कि इकरारनामा केवल ऋण की सुरक्षा के लिए लिखा गया था। उसने यह भी अभिवचन किया गया है कि वादी को विवादित प्लाट का कोई कब्जा नहीं दिया गया और प्रतिवादी संख्या–1 ही विवादित प्लाट के कब्जे में रहा है। प्रतिवादी संख्या–1 ने दिनांक 16.01.2018 एवं 17.01.2018 को विवादित प्लाट के विकय पत्र प्रतिवादी संख्या–2 से 4 के पक्ष में निष्पादित कर उनको कब्जा सौप दिया है। आगे यह भी अभिवचन किया गया है कि विवादित प्लाट का बाजारू मूल्य 600/– प्रति वर्गफुट होने से विवादित प्लाट रू. 15,00,000/– में विकय करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। प्रतिवादी ने विवादित प्लाट रू.55,00,000/–प्रतिफल में विकय किया है। आगे यह भी अभिवचन किया गया है कि वादी का दावा अवधि बाहय है।

प्रतिवादी संख्या–2 से 4 ने अपना जवाबदावा प्रस्तुत कर यह अभिवचन किया है कि प्रतिवादी संख्या–2 से 4 ने इस तथ्य की जॉच की और पाया कि प्रतिवादी संख्या–1 स्वामी है उनके द्वारा विवादित प्लाट का सीमांकन दिनांक 13.01.2018 को कराया गया। प्रतिवादी संख्या–2 से 4 मूल्यवान प्रतिफल के लिए बिना किसी पूर्व अनुबंध की जानकारी के सद्भावी व निर्दोष केता हैं।

<u>वादी की साक्ष्य</u> :–

साक्ष्य में वादी द्वारा स्वयं का परीक्षण कराया गया है और इकरारनामे के दस्तावेज प्रदर्श पी–1 को प्रमाणित किया है तथा अपने पक्ष समर्थन में असा.2 रमेश जो कि इकरारनामा प्रदर्श पी–1 का साक्षी है के भी कथन कराये हैं। वादी ने प्रतिवादी कमांक–1 की स्वीकृति जो इकरारनामे के निष्पादन के संबंध में है पर भी निर्भरता प्रकट की है और कथन किया है कि वह कब्जे में है।

<u>प्रतिवादी की साक्ष्य</u> :–

प्र.सा.1 जगदीश ने स्वयं का परीक्षण कराया है और कथन किया है कि इकरारनामा ऋण की सुरक्षा के लिए लिखा गया था। वादी ने ना तो बकाया राशि अदा करने के लिए उससे संपर्क किया और ना ही विकय पत्र के निष्पादन हेतु वादी ने धनराशि की मॉग की जो बाद में उसे दे दी गई और वादी ने मौखिक आश्वासन दिया कि इकरारनामे को बाद में निरस्त कर देंगे। उसके द्वारा रजिस्टर्ड विकय पत्र से रू.

55,00,000/– मूल्य में प्लाट प्रतिवादी संख्या–2 से 4 को विक्रय कर दिया गया है। उसने यह भी कथन किया है कि वादी का दावा अवधि बाह्य है और इकरारनामे के 3 वर्ष बाद लाया गया है।

प्र.सा.4 श्रीमती ललिता द्वारा विक्रय पत्र प्रदर्श डी–1 व डी–2 जो प्रतिवादी क्रमांक–1 द्वारा उसके पक्ष में निष्पादित किये गये हैं को प्रमाणित किया है और कथन किया है कि वह कब्जे में है परन्तु प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसके स्थान पर उसके पुत्र ने पटवारी के पास जाकर जॉच पड़ताल की थी और पाया था कि प्रतिवादी क्रमांक–1 विवादित प्लाट का स्वामी है और कब्जे में है।

तर्क वादी :–

वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क किया गया है कि चूंकि प्रतिवादी संख्या–1 ने यह आधार लिया है कि इकरारनामा ऋण की सुरक्षा के लिए निष्पादित किया गया था, अतः वह विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 के प्रावधानों का लाभ पाने का अधिकारी नहीं है। यह भी तर्क किया गया है कि इकरारनामे के अनुसार वादी ने विक्रय मूल्य की अधिकांश राशि रू. 15 लाख में से 13 लाख रूपये अदा की है अतः प्रतिवादी का यह तर्क कि वादी अनुबंध के निष्पादन हेतु अपने भाग के पालन के लिए तत्पर व उत्सुक नहीं रहा भी स्वीकार योग्य नहीं है। यह भी तर्क किया गया है कि इकरारनामे में अंतर्विष्ट लेख में अवशेष राशि के भुगतान के लिए समय सीमा का कोई प्रावधान नहीं किया गया है अतः समय संविदा का सार नहीं है। यह भी तर्क किया गया है कि पश्चात्वर्तीय क्रेता यह आधार नहीं ले सकता है कि वादी अपनी तत्परता और उत्सुकता प्रमाणित करने में असफल रहा है । यह भी तर्क किया गया है कि प्रतिवादी संख्या 2 से 4 ने वादी के साथ पूर्व में किये गये इकरारनामे के संबंध में कोई जॉच पड़ताल नहीं की है।

तर्क प्रतिवादी :–

दूसरी तरफ प्र.सा.1 के अधिवक्ता द्वारा इकरानामा प्रदर्श पी–1 की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित कराया गया है कि इकरारनामे के अनुसार विक्रय पत्र के निष्पादन के लिये यह आवश्यक था कि वह ग्राम पंचायत से अनुमति प्राप्त करे। परन्तु वादी ग्राम पंचायत से अनुमति प्राप्त करने में असफल रहा है और उसके लिए उसने लगभग 3 साल तक कोई कदम नहीं उठाया। समाचार पत्र में प्रकाशित सूचना और टेलीग्राम से भेजी गई सूचना वादी द्वारा प्रतिवादी नंबर–1 को विक्रय पत्र के निष्पादन के बाद भेजी गई है। वादी संविदा में अपने भाग के पालन हेतु तत्पर व उत्सुक नहीं रहा है अतः वह संविदा के विनिर्दिष्ट पालन की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

प्रतिवादी संख्या–2 से 4 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क किया गया है कि प्रतिवादी संख्या–2 से 4 उचित मूल्य देकर पूर्व संव्यवहार की जानकारी के बिना सद्भावी क्रेता हैं।

या/OR

Frame the charge and write a judgment on the basis of the allegations and evidence given here under by analyzing the evidence, keeping in mind the relevant provisions on the concerning law :-

Prosecution *Case* :-

The prosecution case is that Police Station incharge of Civil Lines, Jabalpur received an information from informer that a person Ramesh Babu resident of Pachpedi has in his possession counterfeit currency notes having knowledge that it is a counterfeit currency and he is intending to use the same as genuine currency notes. After receiving this information and completing some formalities the Sub-Inspector with Police force went to the house of Ramesh Babu but due to urgency the Police could not obtain House search warrant from the competent authority because in the formality of obtaining the search warrant Ramesh Babu might have left his house and might have shifted the fake currency notes or could have used it as genuine outside the city. After arrival the Sub-Inspector informed Ramesh Babu that his house has to be searched as he has received an information regarding commitment of cognizable offence. After providing intimation the house of Ramesh Babu was searched as per law.

During search police party found a bundle of packet hidden in a box containing number of hundred rupees currency notes. On counting it was note of three lacs rupees. On preliminary inquiry by the Sub-Inspector it was found that those notes are counterfeited currency as they were not having water marks, prescribed silver line and the paper used was of inferior quality in comparison to genuine currency. Embossed letters were missing, the colours were fade.

On the basis of information and suspicion that the notes were fake, they were seized in presence of local witnesses. Ramesh Babu was not in position to explain about possession of those currency notes. He was arrested and arrest memo was prepared.

The case diary was handed over to SDOP, who further investigated. On request of the Investigation Officer the State Bank Manager of the local branch inspected the notes. He found them as counterfeit currency and submitted his report with reasons. As the investigation was in progress Ramesh Babu was produced before the Local Judicial Magistrate for judicial remand. After completing the necessary formalities the Magistrate sent him on judicial remand. During the investigation the seized notes were sent to Bank Note Press at Dewas (M.P.) for examination and expert opinion. The expert found all notes are counterfeit currency and sent his report. After completion of investigation Charge sheet was filed against Ramesh Babu. After cognizance by the concerning Magistrate the was committed to

the Sessions Judge, Jabalpur.

Defence Plea **:-**

The defence of the accused is that nothing has been recovered from his possession. He has been falsely implicated by the Police. On the said date he was not present in Jabalpur rather he went to his sister's house at Kanpur.

Evidence for prosecution **:-**

On behalf of prosecution Sub-Inspector 'A' (P.W.-1), SDOP 'B' (P.W.-2) and seizure witness 'C' (P.W.-3), Bank Manager 'D' (P.W.-4) and expert of Bank Note Press, Dewas 'E' (P.W.-5) examined, all prosecution witnesses supported the prosecution case. In cross examination seizure witness 'C' admitted that at the time of seizure he has not seen the currency notes but something was there, that was wrapped in a cloth, Police was saying it is fake currency notes.

Evidence for defence **:-**

The accused produced his sister 'K' (D.W.-1) in defence who stated that accused was in her house at Kanpur on the date of incident, he has not committed any offence. In her cross-examination, she admitted that she has not made any complaint to the Police that the accused was at her residence at Kanpur when she got information of arrest of her Brother. She further admitted that her Brother came to Kanpur by train.

Arguments of Prosecutor **:-**

It was the argument of prosecution side that the fake currency notes were seized from the possession of the accused in the presence of seizure witnesses. The experts opined that notes are not genuine. Prosecution has proved his case.

Arguments of Defence Counsel **:-**

Defence side argued that the accused does not know anything about the notes. He has been falsely implicated. He was not present in the city on the date of said incident, which he has proved by cogent evidence and prays for acquittal.

नीचे दिये गये अभियोजन के मामले के आधार पर आरोप विरचित करें तथा नीचे दिये गये तथ्यों, साक्ष्य व तर्कों के आधार पर विचारणीय बिन्दु बनाकर, एक सकारण निर्णय लिखिये –

अभियोजन का प्रकरण :–

अभियोजन का प्रकरण है कि थाना सिविल लाईन्स, जबलपुर के प्रभारी निरीक्षक को मुखबिर से सूचना मिली कि रमेश बाबू ने जानते हुए एवं असल के रूप में उपयोग के आशय से अपने घर में नकली करेंसी नोट रखा है। इस सूचना के आधार पर औपचारिकताओं की पूर्ति के बाद उप–निरीक्षक पुलिस बल के साथ उसके मकान पर गए किन्तु समयाभाव में विधिवत् तलाशी का वारंट नहीं लिया जा सका क्योंकि तलाशी वारंट लेने की प्रक्रिया अपनाने तक रमेश बाबू मकान छोड़कर उन नोटों के उपयोग हेतु शहर के बाहर जा सकता था या नोटों को कही हटा सकता था या नकली करेंसी नोटों को सही करेंसी नोट के रूप में उपयोग कर सकता था। रमेश बाबू को उप–निरीक्षक ने उसके घर आकर सूचना दी कि उसके मकान की तलाशी लेनी है क्योंकि पुलिस हस्तक्षेप योग्य अपराध होने की सूचना मिली है। रमेश बाबू को सूचना देने के उपरांत उसके रहवासी मकान की विधिवत् तलाशी ली गई।

तलाशी के दौरान पुलिस बल को एक बॉक्स में छुपे हुए सौ रूपये के मूल्य के नोटों का पैकेट प्राप्त हुआ जो गिनती करने पर तीन लाख रूपये मूल्य के पाए गए। उप–निरीक्षक द्वारा इन नोटों की प्रारंभिक जांच करने पर नोट नकली प्रतीत हुए, क्योंकि उनमें वाटर मार्क नहीं था, निर्धारित चांदी का तार नहीं था उन नोटों का कागज असली नोटों की तुलना में खराब श्रेणी का था। नोटों पर उभरे हुए अक्षर नहीं मिले। नोटों का रंग कुछ फीका सा दिखा।

सूचना एवं संदेह के आधार पर कि उक्त नोट नकली हैं इन नोटों को उपस्थित स्थानीय गवाहों के समक्ष विधिवत् जप्त किया गया। उन नोटों के आधिपत्य के बारे में रमेश बाबू कोई भी संक्षिप्त स्पष्टीकरण देने में असमर्थ थे। उसे गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया।

प्रकरण की केस डायरी नगर पुलिस अधीक्षक को आगे के अनुसंधान हेतु सौंप दी गई। अनुसंधान अधिकारी के निवेदन पर स्थानीय स्टेट बैंक के मैनेजर ने जप्त नोटों की जांच की तो पाया कि वे जाली नोट हैं। उन्होंने इस बाबत कारण सहित अपनी रिपोर्ट दी। अनुसंधान जारी था इसलिए रमेश बाबू को स्थानीय न्यायिक दण्डाधिकारी के समक्ष पेश किया गया जिसने विधिवत् कार्यवाही कर उसे रिमांड पर भेजा दिया। विवेचना के दौरान जप्त नोटों को परीक्षण हेतु बैंक नोट मुद्रणालय देवास (म.प्र.) भेजा गया। विशेषज्ञ ने जांच में वे सभी नकली नोट होना पाए। विशेषज्ञ ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसे केस डायरी में संलग्न किया गया। समस्त विवचेना पूर्ण कर अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। विशेषज्ञ ने जांच में वे सभी नकली नोट होना पाए और विशेषज्ञ ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र रमेश बाबू के विरूध्द प्रस्तुत किया गया। संज्ञान उपरांत प्रकरण संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा सत्र न्यायाधीश महोदय, जबलपुर को उपार्पित किया गया।

प्रतिरक्षा अभिवाक :–

अभियुक्त का बचाव है कि उसके अधिपत्य से कोई बरामदगी नहीं हुई उसे पुलिस द्वारा झूठा फसाया गया है। कथित दिनांक को वह जबलपुर में नहीं था अपितु वह अपनी बहन के घर कानपुर गया हुआ था।

<u>अभियोजन की साक्ष्य</u> :–

अभियोजन की ओर से उप–निरीक्षक "अ" (अ.स. 1) उप–पुलिस अधीक्षक "ब" (अ.स. 2) एवं जप्ती साक्षी "स" (अ.स. 3), बैंक मैनेजर "द" (अ.स. 4) एवं बैंक नोट प्रेस, देवास के विशेषज्ञ "ई" (अ.स. 5) का परीक्षण कराया गया है। सभी अभियोजन साक्षियों ने अभियोजन के प्रकरण का समर्थन किया है। जप्ती साक्षी "स", ने कूटपरीक्षण में स्वीकार किया कि उसने करेंसी नोट नहीं देखा था लेकिन वहां पर कुछ था जो कि कपड़े में लिपटा हुआ था पुलिस कह रही थी कि नकली नोट हैं।

<u>बचाव साक्ष्य</u> :–

बचाव साक्ष्य के रूप में अपनी बहन "क" (ब.स.–1) के कथन कराये है, उसमें व्यक्त किया कि कथित दिनांक को अभियुक्त उसके घर पर कानपुर में था, उसने कोई अपराध नहीं किया है। इस साक्षी ने कूटपरीक्षण में स्वीकार किया कि जब उसे यह जानकारी मिली कि उसका भाई गिरफ्तार हुआ तो उसने पुलिस को ऐसी कोई शिकायत नहीं की कि उसका भाई उस समय उसके घर पर कानपुर में था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि उसका भाई कानपुर रेल द्वारा आया था।

<u>अभियोजक का तर्क</u> :–

अभियोजन पक्ष का तर्क था कि अभियुक्त के आधिपत्य से साक्षियों के समक्ष नकली नोट बरामद हुए थे। नोटों के नकली होने के बारे में विशेषज्ञों के रिपोर्ट पेश है। अभियोजन ने अपना प्रकरण प्रमाणित किया है।

<u>बचाव अधिवक्ता का तर्क</u> :–

बचाव पक्ष की ओर से तर्क किया गया है कि नोटों के बारे में अभियुक्त की कोई जानकारी नहीं है, उसे झूठा फसाया गया है। कथित घटना दिनांक को अभियुक्त शहर में ही नहीं था। इस तथ्य को उसने समुचित साक्ष्य से प्रमाणित किया है। उसे दोषमुक्त किए जाने की प्रार्थना की गई है।

6. <u>ORDER WRITING</u> 10

Write Order on the basis of facts given below :-

1. The facts of the case are that the plaintiff 'A' has filed a civil suit for declaration of title, possession, injuction and mesne profit. It was stated by her that in another civil suit i.e. Civil Suit No. 43-A/2011 was filed in which her husband Ramesh was a party/defendant no. 1 and death of her husband took place on 25.03.2012. She further stated that in spite of the fact that her husband was no more, a fraud was played upon and a judgment and decree was

passed in Lok Adalat on 18.05.2015 even though her husband was a party and he was no more, his heirs were not brought on record and she was not a party in the suit, when an order was passed in Lok Adalat on the basis of compromise, hence the decree and order and Civil Suit No. 43-A/2011 is not binding on the plaintiff 'A'.

2. The defendant No. 1 filed an application under O 7 R 11 of the Code of Civil Procedure, stating that the dispute between the parties stand concluded on account of a compromise decree date 18.05.2015, which was passed by Lok Adalat, therefore, award passed by Lok Adalat cannot be challenged by filing a civil suit. The plaintiff suit is not maintainable requires to be rejected.

Argument on behalf of applicant / defendant:

It has been contended that the award of Lok Adalat can only be challenged by filing a Writ Petition invoking article 226 and 227 of the Constitution of India. The award of Lok Adalat cannot be challenged by filing a Civil Suit, he has drawn the attention of Court towards the Section 21 of Legal Services Authority Act, 1987, which runs as under :

"(1) Every award of the Lok Adalat shall be deemed to be a decree of a civil Court or, as the case may be, an order of any other Court and where a compromise or settlement has been arrived at, by a Lok Adalat in a case referred to it under sub-section (1) of section 20, the Court fee paid in such case shall refunded in the manner provided under the Court Fees Act, 1870 (7 of 1870). – 1[(1) Every award of the Lok Adalat shall be deemed to be a decree of a civil Court or, as the case may be, an order of any other Court and where a compromise or settlement has been arrived at, by a Lok Adalat in a case referred to it under sub-section (1) of section 20, the Court fee paid in such case shall be refunded in the manner provided under the Court Fees Act, 1870 (7 of 1870)].

(2) Every award made by a Lok Adalat shall be final and binding on all the parties to the dispute, and no appeal shall lie to any Court against the award."

Argument on behalf of non-applicant / plaintiff :

On behalf of the non-applicant / plaintiff 'A', it has been argued that she was not a party to the civil suit No. 43-A/2011, which was decided by Lok Adalat on 18.05.2015 on account of a compromise, therefore, a judgment and decree date 18.05.2015 is

not binding on plaintiff 'A'. He further submitted that the husband Ramesh of plaintiff 'A' was defendant no. 1 in previous suit he expired on 25.03.2012, therefore, the award was not passed with the consent of Ramesh who was husband of Plaintiff 'A'. Therefore, award is not binding on her and her suit for declaration of title, possession, injuction and mesne profit is maintainable.

निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर आदेश लिखिए :–

1. प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी "अ" ने एक व्यवहारवाद स्वत्व घोषणा का आधिपत्य, निषेधाज्ञा एवं अंतरवर्ती लाभ हेतु पेश किया है। उसके द्वारा यह अभिवचन किया गया कि एक अन्य व्यवहारवाद कमांक 43–ए/2011 प्रस्तुत किया गया था, जिसमें उसका पति रमेश प्रतिवादी कमांक 1 के रूप में पक्षकार था। उसके पति की मृत्यु दिनांक 25.03.2012 को हो गई थी। उसने यह भी अभिवचन किया कि इस तथ्य के बावजूद कि उसके पति की मृत्यु हो गई है और उनके वारिसान को अभिलेख पर लाये बिना लोक अदालत को राजीनामा के आधार पर दिनांक 18.05.2015 को एक निर्णय और आज्ञप्ति पारित किया गया। इसलिए व्यवहार वाद कमांक 43–ए/2011 की डिकी एवं आदेश वादी "अ" पर बंधनकारी नहीं है।

2. प्रतिवादी कमांक 1 ने एक आवेदन अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 व्यवहार प्रकिया संहिता इस आधार पर प्रस्तुत किया कि पक्षकारों के मध्य राजीनामा की डिकी दिनांक 18.05.2015 के आधार पर विवाद समाप्त हो चुका है, जो कि लोक अदालत में पारित की गई थी इसलिए लोक अदालत का अवार्ड को व्यवहारवाद के द्वारा चुनौती नहीं दिया जा सकता है। वादी का दावा प्रचलन योग्य नहीं है अतः निरस्त किया जावें।

आवेदक/प्रतिवादी की ओर से तर्क :–

यह तर्क किया गया है कि लोक अदालत के अवार्ड को केवल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 एवं 227 के तहत ही चुनौती दी जा सकती है। लोक अदालत के अवार्ड को व्यवहारवाद के द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती। उन्होनें न्यायालय का ध्यान विधि सेवा प्राधिकारण अधिनियम, 1987 की धारा 21 की ओर आकर्षित किया, जो कि निम्नानुसार हैः–

"(1) लोक अदालत का प्रत्येक अधिनिर्णय, यथास्थिति, सिविल न्यायालय की डिक्री या किसी अन्य न्यायालय का आदेश समझा जाएगा और जहां किसी लोक अदालत द्वारा धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन उसको निर्दिष्ट किसी मामले में समझौता या परिनिर्धारण किया गया है वहां ऐसे मामले में संदत्त न्यायालय फीस, न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 (1870 का 7) के अधीन उपबंधित रीति से लौटा दी जाएगी ।]

(2) लोक अदालत द्वारा किया गया प्रत्येक अधिनिर्णय अंतिम और विवाद के सभी पक्षकारों पर आबद्धकर होगा, तथा अधिनिर्णय के विरुद्ध कोई अपील किसी न्यायालय में नहीं होगी ।"

अनावेदक/वादी की ओर से तर्कः–

अनावेदक/वादी "अ" की ओर से यह तर्क किया गया है कि वह व्यवहारवाद कमांक 43–ए/2011, जो कि लोक अदालत में राजीनामा के आधार पर दिनांक 18.05.2015 को निराकृत हुआ, में वह पक्षकार नहीं थी इसलिए निर्णय एवं आज्ञप्ति दिनांक 18.05.2015 वादी "अ" पर बंधनकारी नहीं है। उन्होंने यह भी तर्क किया कि वादी "अ" के पति रमेश पूर्व व्यवहारवाद में प्रतिवादी कमांक 1 के रूप में पक्षकार थे जिनकी मृत्यु

25.03.2012 को हो चुकी थी इसलिए अवार्ड वादी के पति रमेश की सहमति से पारित नहीं किया गया है, जिससे अवार्ड वादिया पर बंधनकारी नहीं है और स्वत्व घोषणा, आधिपत्य, निषेधाज्ञा एवं अंतवर्ती लाभ का उसका दावा प्रचलनीय है।

या / OR

Write Order on the basis of facts given below :-

A complaint has been filed under Section 135, 151 of Electricity Act against the applicant as Accused No.2, whereas the Accused No.1 Ramjidas is prosecuted being the proprietor of M/s Deepti Polycon. The case of complainant is that on 07.09.2018 the vigilance team has carried out the inspection in the premises of M/s Deepti Polycon and it was found that electric meters were interpolated as a result of which they were not giving proper reading and thus, there was a theft of electricity. Complainant examined their witnesses in the cross examination of these witnesses, specific stand was taken by Accused No.2 is that he is not a proprietor of M/s Deepti Polycon and has wrongly been implicated in the matter. Accused No.2 filed an application under Section 243(2) of Cr.P.C. and made prayer to the Court for summoning the documents pertaining to grant of loan to M/s Deepti Polycon from S.B.I. Jiwaji Ganj as well as register of registration from the office of District Industrial Centre, Morena in respect of M/s Deepti Polycon.

Accused No.2 submitted that he is required to prove his defence and opportunity of leading defence evidence cannot be denied under Section 243(2) of Cr.P.C. and applicant has no intention to delay the trial. Complainant submitted that the person who is using the premises is also consumer and liable to be punished under 135(1) of Electricity Act, if it is found that there was theft of electricity. Accused No.2 has already produced certificate of Commercial Tax Department which shows that Accused No.1 Ramjidas was the proprietor of the firm, therefore, the document which applicant wants to summon are not relevant. Applicant has signed the panchnama from this fact it is clear that at the time of inspection he was present in the premises. Since he is in possession of the premises of M/s Deepti Polycom he is also responsible for the theft of electricity. Hence, application is liable

to be dismissed.

निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर आदेश लिखिए :–

धारा 135, 151 विद्युत अधिनियम के अंतर्गत एक परिवाद पेश की गई है जिसमें आवेदक अभियुक्त कमांक–2 है और अभियुक्त कमांक–1 रामजीदास का अभियोजन मेसर्स दीप्ति पॉलीकॉन के मालिक के रूप में किया जा रहा है। परिवादी का मामला यह है कि दिनांक 07.09.2018 को सतर्कता दल द्वारा मेसर्स दीप्ति पॉलीकॉन के परिसर का निरीक्षण किया गया और यह पाया गया कि विद्युत मीटर से छेड़छाड़ की गई है जिसके परिणाम स्वरूप मीटर सही रीडिंग नहीं दर्शा रहे है और इस प्रकार बिजली की चोरी की गई है। परिवादी की ओर से उसके साक्षियों का परीक्षण कराया गया, साक्षियों से प्रतिपरीक्षण में अभियुक्त कमांक–2 ने यह विनिर्दिष्ट बचाव लिया गया है कि वह मेसर्स दीप्ति पॉलीकॉन का मालिक नहीं है और उसे मामले में झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त कमांक–2 द्वारा एक आवेदन धारा 243(2) दण्ड प्रकिया संहिता के अंतर्गत प्रस्तुत कर न्यायालय से यह प्रार्थना की गई है कि मेसर्स दीप्ति पॉलीकॉन को एस.बी.आई. जिवाजीगंज द्वारा दिये गये ऋण संबंधी दस्तावेज तथा जिला औद्योगिक केन्द्र मुरैना से मेसर्स दीप्ति पॉलीकॉन के संबंध में पंजीयन का रजिस्टर तलब किया जावे।

अभियुक्त कमांक–2 की ओर से तर्क किया गया है कि उससे अपनी प्रतिरक्षा प्रमाणित करने की अपेक्षा की गई है तथा अपनी प्रतिरक्षा में साक्ष्य पेश करने के अधिकार से उसे धारा 243 (2) दण्ड प्रकिया संहिता के अंतर्गत वंचित नहीं किया जा सकता और उसका कोई आशय विचारण में विलंब करने का नहीं है। परिवादी की ओर से यह तर्क किया गया है कि वह व्यक्ति जो परिसर का उपयोग करता है वह भी उपभोक्ता है तथा धारा 135 (1) विद्युत अधिनियम के अंतर्गत दण्ड के लिए उत्तरदायी है यदि यह पाया जाता है कि वहाँ विद्युत की चोरी हुई है। अभियुक्त कमांक–2 की ओर से पूर्व में ही प्रमाण पत्र वाणिज्य कर विभाग का प्रस्तुत किया जा चुका है जो यह दर्शित करता है कि अभियुक्त कमांक–1 रामजीदास फर्म के मालिक थे, इसलिए आवेदक द्वारा तलब किये जाने वाले दस्तावेज सुसंगत नहीं हैं। आवेदक की ओर से पंचनामे पर भी हस्ताक्षर किये गये हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वह निरीक्षण के समय परिसर में उपस्थित था और चूँकि वह मेसर्स दीप्ति पॉलीकॉन के परिसर के कब्जे में रहा है इस कारण वह भी विद्युत चोरी के लिए उत्तरदायी है, अतः आवेदन निरस्त किया जावे।

*****